न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।
उपस्थितः–हनी गोयल, एच.जे.एस. (UP-2408)
CNR No.-UPHP010049082026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1435 सन 2026

तैय्यब पुत्र इब्बन निवासी ग्राम उरैना थाना वजीर गंज, जिला बदायूं हाल निवासी मौ0 शिवगढ़ी, ईदगाह रोड, थाना हापुड़, जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अन्तर्गत धारा– 103(1) बी.एन.एस.
व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना–कपूरपुर, जिला– हापुड़।
मुकदमा अपराध संख्या 39/2026

दिनांकः 10.07.2026:–

1. अभियुक्त उपरोक्त, जो अपराध संख्या 39 सन् 2026, धारा 103(1) बी.एन.एस. व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना कपूरपुर, जिला हापुड़ के संबंध में अभिरक्षा में है, की ओर से उसे जमानत पर रिहा किये जाने हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा किशवर खां द्वारा दिनांक 28.03.2026 को थाना हाजा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी कि दिनांक 28.03.2026 का उसका बेटा मौ0 इबरत खान उम्र करीब 31 वर्ष, जो गली नं0–5 मौहल्ला मजीदपुरा कोतवाली हापुड़ नगर में रहकर टी.वी.एस. विक्की नं0 यू.पी. 37 ई. 3957 से कपड़ो की फेरी का काम करता है जो ग्राम बझैडा से फेरी करते हुए ब्रजनाथपुर मील नहर पर पूरब दिशा में आम के बाग के बीच खड़ंजे से डहाना क्रेशर रोड़ पर करीब 50–60 कदम की दूरी पर खडंजे पर किसी अज्ञात द्वारा उसके बेटे के सिर में समय करीब 2 बजे दिन में गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी सूचना मिलने पर वह अपने परिवार के लोगों के साथ मौके पर आकर देखा तो उसका बेटा मृत अवस्था में पड़ा मिला, जिसके सिर में गोली लगी है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वादी ने थानाहाजा से साज करके आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखायी है। उक्त केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में लिखायी गयी है। मृतक व आवेदक/अभियुक्त एक दूसरे के रिश्तेदार है दोनों के मध्य किसी भी प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी। जिस स्थान पर घटना कारित होना दिखलाया गया है वह व्यस्ततम रास्ता है तथा किसानों की गन्नों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली व बुग्गी हर 2–4 मिनट में आती जाती रहती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 6 घण्टे की देरी से अज्ञात में दर्ज करायी गयी है तथा देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक को दो गोली लगना बताया है जबकि खाली खोखा एक ही बरामद हुआ है, दूसरे के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि मेड़िकल में भी दो गोली लगना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 31.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त ने वादी मुकदमा के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी तथा दौरान गिरफ्तारी आवेदक/अभियुक्त की

निशानदेही पर आलाकत्ल एक पिस्टल मय एक जिन्दा कारतूस व मृतक का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। इस प्रकार उसका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क एवं उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत केस डायरी का परिशीलन किया।

6. आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने वादी मुकदमा के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी तथा दौरान गिरफ्तारी आवेदक/अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल एक पिस्टल मय एक जिन्दा कारतूस व मृतक का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध मृतक केशवर खान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर आग्नेयास्त्र की चोटें पायी गयी है तथा मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व सिर व मस्तिष्क में आयी आग्नेयास्त्र की चोटों के कारण हुई है। दौरान विवेचना सी.सी. टी.वी. फुटेज के आधार पर आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और पत्रावली सेशन सुपुर्द की जा चुकी है और जल्द ही विचारण प्रारम्भ होने की सम्भावना है। आवेदक/अभियुक्त के जमानत पर छोड़े जाने से उसके द्वारा गवाहान के साथ–साथ विचारण को प्रभावित करने की प्रबल सम्भावना है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

तदनुसार आवेदक/अभियुक्त **तैय्यब पुत्र इब्बन** की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक 10.07.2026

प्रभारी, सत्र न्यायाधीश,
हापुड़।